

पत्रांक - 1871
जाईल - 21 सी
दिनांक - 6/11/19

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी० /०६/ 61/2018/एफ०सी०/2139 दिनांक 16.01.2019 के द्वारा टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना-किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3025 है० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम किमोई पट्टी छैज्यूला की 10.605 है०सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु तहसीलदार धनोली के पत्र संख्या-153/रजि०का० (दैवी आपदा) -2017, दिनांक, धनोली जुलाई, 26,2017 एवं संख्या-148/रजि०का०/राजस्व वाद/ 2019, दिनांक धनोली मई 25,2019 पर उप जिलाधिकारी धनोली के पृष्ठांकन दिनांक 02 अगस्त 2017 एवं 30 मई 2019 के द्वारा निम्नवत् भूमि प्रस्तावित की गई है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(हे०में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
किमोई	छैज्यूला	05	1054	11.002 है० मध्ये 10.605 है०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
योग-				10.605 है०	

प्रस्तावित मसराना -किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या -2882/XVIII(II)/ 11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010राजस्व अनुभाग -2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोली के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम किमोई पट्टी छैज्यूला के हाल खाता संख्या-05 के खसरा नम्बर 1054 मध्ये 10.605 है०(दस दशमलव छः शून्य पांच है०) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित /इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(डा०वी०षण्णमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 110 /XI- 113 (2018-19)दिनांक,नई टिहरी,नवम्बर,06,2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता,अ०ख० लो०नि०वि० थत्पूड।
- 7- उप जिलाधिकारी धनोली।
- 8- तहसीलदार धनोली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

किमोई, पडडी - दैज्यूला, तहसील - धनोली, जिला - विहरी गढ़वाल
 14- कृषि योग्य भूमि - (11) (ड) कृषि योग्य क्षेत्र।

क्र.सं.	नाम खातेदार मय सक्षम	कुल नमूना	खसरा नं.	रकबा (हे.मं.)	अंश	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7-13
5-	उत्तराखण्ड प्रदेश सरकार वर्ग 9(3) ड (वेजरी भूमि)		1 8 10 18	0.125 0.592 0.106 0.609		आदेश (1427 फा) मुताबिक श्रीमान जिलाधिकारी महोदय विहरी गढ़वाल के कार्यालयोदेश सं- 110/XI-113 (2018-19) दिनांक नई विहरी, नवम्बर 06, 2019 के शासनादेश सं-2173/XVII (II)/2012-18(120) /2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उपजिला धिकारी धनोली के द्वारा प्रस्ताव कि किम गये ग्राम किमोई, पडडी - दैज्यूला के हाल खाता सं-05 के खसरा नं 1054 मध्ये 10605 हे (दस दशमलव दशम पांच हे) अर्थात् 9(3) ड (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) की सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में आपस जनहित के दृष्टिगत वन विभाग, उत्तराखण्ड, के पक्ष में शरिपुरा हस्ता- रेखण हेतु अन्तरिम की गई है, जिससे क्रम में तहसीलदार महोदय, धनोली के हस्ताक्षरित आदेश दि. 06/11/2019 के अनु- पालन में उक्तोक्ति आदेशानुसार खसरा नं-1054 मध्ये 10605 हे भूमि वन विभाग, उत्तराखण्ड के नाम इन्द्राजी की गई
			से लगायत			
			1044 1046 ✓ 1054 1055 1056	0.411 0.712 11.002 0.040 0.040		
			से लगायत			
			2845 2851 2859 2876 2883	0.271 0.020 0.023 0.006 0.541		
	खाते का योग	→	210	78.564	-	-

Note - नकल जमावा खातेना असल है लमा की

11/11/2019
 (एसओ के अग्रवाल)
 राजस्व उप-निरीक्षक
 क्षेत्र, तहसील धनोली
 विहरी गढ़वाल